राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 8476 दिनांकः - 10.04.2023

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश 30025–30250 दिनांक 06.05.2022 के साथ संलग्न इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 8 (ii) के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग द्वारा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यो हेतु बनाये गये अनुमान (Estimate) प्रचलित RUIDP SoR-2017 पर आधारित एवं RUIDP SoR में भविष्य में होने वाले संशोधन तत्समय समावेशित होंगे की अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में 01.04.2023 से नवीन कार्यो के प्रस्ताव / तकमीने (मय आवश्यक श्रमिक संख्या व सामग्री मद की गणना सहित) आर.यू.आई.डी.पी. SoR-2022 के आधार पर तैयार किया जाना अनुमत किया जाता है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 के प्रगतिरत कार्यो को पूर्व में स्वीकृत बी.एस.आर.–2017 के अनुरूप ही क्रियान्वन कराया जावेगा तथा ऐसे अन्य अप्रारम्भ कार्य जिनका क्रियान्वयन वर्ष 2023–24 में किया जाना है, की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही आर.यू.आई.डी.पी. SoR-2022 के आधार पर किया जा सकेगा।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक :एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 8477- दिनांकः 10.04.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
4. जिला कलेक्टर (समस्त), राजस्थान।
5. वित्तीय सलाहकार / परियोजना निदेशक, निदेशालय।
6. परियोजना निदेशक (तकनिकी), इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना।
7. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानिय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
8. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका, समस्त राजस्थान।
9. समस्त मुख्य अभियंता / अतिरिक्त मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता, समस्त राजस्थान।
10. समस्त अधिशाषी अभियंता / सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता समस्त राजस्थान।
11. स्टेट एम. आई. एस मैनेजर को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत्।
12. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव